न्यायालय उपखण्ड़धिकारी महोदय,सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
पीठसीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या. :– 565/2019

सावित्री देवी पुत्री बहादरराम जाति जाट निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–वादीया

बनाम

1. रामप्यारी पुत्री शेराराम जाति जाट निवासी माणुका जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. संतो देवी पुत्री जमना देवी जाति जाट निवासी माणुका जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
3. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1	श्री जगनन्दन सिंह अधिवक्ता	वादीया
2	श्रीमति कंचन सेतिया मुंजाल अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
3	राजपैरोकार स्टेट	प्रतिवादी संख्या 5

निर्णय दिनांक: 3.1.2020

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए के तहत् इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि वादीया एंव प्रतिवादीगण संयुक्तहिन्दु परिवार के सदस्य है तथा संयुक्त परिवार के सदस्य है।. पक्षकारण हिन्दु धर्म व हिन्दू ला के मिताक्षरा स्कूल से शासित है। प्रत्येक पुत्र पुत्री का जदी जायदाद कोपार्सनरी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में जन्म से हक व अधिकार है। वादीया एवं प्रतिवादीगण एक ही रक्त संबंध है। चक 25 एमजेडी खाता सं. 22/38 प.नं. 80/193 मु.नं 41 के किला नं. 6, 15, 16, 17, 25 में 1.265 हैक्टर व प.न. 81/193 मु.नं. 42 किला नं. 20 सालम कुल 1.518 हैक्टर नहरी आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक के नाम 0.204 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजी विरास्तन प्राप्त हुई है जो संयुक्त हिन्दु परिवार की परिभाषा में आती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का व्यवहार वादीया के साथ पिछले कुछ वर्षो से सही नही रहा है जिसके चलते वादीगणएवं प्रतिवादीगण अलग–अलग निवास कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इसी व्यवहार के चलते घरू तौर पर रिशतेदारो एवं बिरादरी के मध्य हुई पंचायत के आधार पर वादीया को चक 25 एंमजेडी खाता सं. 22/38 प.नं. 80/193 मु.नं 41 के किला नं. 6, 15, 16, 17, 25 में 1.265 हैक्टर व प.न. 81/193 मु.नं. 42 किला नं. 20 सालम कुल 1.518 हैक्टर नहरी आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक के नांम 0.204 हैक्टर आराजी वादीया को प्राप्त हुई है। दर्ज राजस्व रिकार्ड है।इसी अनुसार आराजी वादीया की कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसकी वादीया मुताबिक बंटवारा कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी प्राप्त कर प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवाने की हक व अधिकारी है। उक्त वर्णित आराजी वादीगणको प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से प्राप्त हुई है आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगणके नाम दर्ज नही रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अक्सर धमकियां देते है कि उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में हम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है तथा तुझे उक्त आराजी से बेदखल कर देगें तथा उक्त वर्णित आराजी वादीगणके नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड नही होने के कारण वादीगणको काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज चक 25 एंमजेडी खाता सं. 22/38 प.नं. 80/193 मु.नं 41 के किला नं. 6, 15, 16, 17, 25 में 1.265 हैक्टर व प.न. 81/193 मु.नं. 42 किला नं. 20 सालम कुल 1.518 हैक्टर नहरी आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक के नाम 0.204 हैक्टर आराजीवादी को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

दावा की मंद संख्या 6 अनुसार मुताबिक बंटवारा आराजी की अपने नाम घोषणा प्राप्त कर खातेदारी पाने के हक व अधिकारी है। वादीया ने कई बार प्रतिवादीगण को कहा कि वह वादीयाको मुताबिक बंटवारा हक व हिस्सा की कब्जा काश्त अनुसार दावा की मंद संख्या 6 अनुसार खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे तथा सहमति के आधार पर उक्त आराजी वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे। पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आज कल करते रहे लेकिन दिनाँक 23.06.2019 को बैमुकाम चक 25 एमजेडी में स्पष्ट ईन्कार हो गये और ऐलानियां धमकीयां दी कि उक्त आराजी को बेचान कर देगें। बेचान कर अन्यत्र खरीद कर लेगें ताकि तुम्हे कोई हिस्सा न मिले आराजी राजस्व रिकार्ड में मुताबिक अपने हक व हिस्सा अनुसार वादीयाके नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड नही रहने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादीयाके हक व हिस्सा की आराजी को रहन बैय करने का पूरा अंदेशा लगा रहता है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त मकसद में कामयाब हो गये तो वादीयाको अपूर्णीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाने से नही हो सकती। इस कारण वादीया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधांज्ञा पाने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 25 एमजेडी खाता सं. 22/38 प.नं. 80/193 मु.नं 41 के किला नं. 6, 15, 16, 17, 25 में 1.265 हैक्टर व प.न. 81/193 मु.नं. 42 किला नं. 20 सालम कुल 1.518 हैक्टर नहरीं आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक के नाम 0.204 हैक्टर आराजीको रहन, बैय व अन्य दीगर तरीके से हस्तांन्तरित करने व कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने से बाज व ममनू रहे। इस कारण वादीयाका प्रथम दृष्टंया मामला बखूबी बनता है। सुविधा सतुंलन भी वादीया के पक्ष में है।

अतः वाद वादीगण की ओर से पेश कर निवेदन किया कि इस आश्य की घोषणा की जावे कि चक 25 एमजेडी खाता सं. 22/38 प.नं. 80/193 मु.नं 41 के किला नं. 6, 15, 16, 17, 25 में 1.265 हैक्टर व प.न. 81/193 मु.नं. 42 किला नं. 20 सालम कुल 1.518 हैक्टर नहरी आराजी में जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक के नाम 0.204 हैक्टर आराजी अर्थात कुल क्षेत्रफल 0.408 हैक्टर आराजी नहरी मय खाला आराजी के वादींया को खातेदार काश्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 के नाम 0.204 है. व प्रतिवादी सं. 2 के नाम 0.204 हैक्टर आराजी तक का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2 की तामिल जरिये सम्मन से न होने पर वकील वादीया के निवेदन पर प्रतिवादी की तामिल जरिये अखबार साया से करवाये जाने के आदेश जारी किये गये। अखबार साया से तामिल वास्ते प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किया गया एवं लोक सम्मत समाचार पत्र में उक्त प्रतिवादीगण की तामिल वास्ते सम्मन प्रकाशित हुआ। उक्त प्रतिवादी संख्या 1 त 3 के बावजूद सूचना होने पर अदालत हाजा में उपस्थित न आने पर उक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। जबाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को मध्यनजर रखते हुये वाद वादी डिक्री किया जाता है तो कोई एतराज नही होगा।

वादीया अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादिया अपने पिता के पास रहती है व इकलौती संतान है। वादिया की दो बुआ रामप्यारी व जमनादेवी थी। जमनादेवी ने अपना कुछ हिस्सा वादिया को दे दिया व कुछ हिस्सा अपनी पुत्री संतो देवी को दे दिया था। बंटवारे में यह हिस्सा सावित्री देवी को प्राप्त हुआ है व मौके पर कब्जा काश्त भी वादिया का ही है। दौसाने बहस वकील वादीया ने वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं उक्त प्रतिवादीगण के एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण उपस्थित नही थे।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस वादीया अधिवक्ता की सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादीया एंव प्रतिवादीगण रक्त संबंधी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आराजी विरास्तन प्राप्त हुई है , वादीया द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा विरासतन होने के आधार पर एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार वादग्रस्त आराजी के संबंध में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है, एव वादीया द्वारा पारिवारिक बंटवारानूसार चाहे गये अनूतोष के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
Scanned by CamScanner

संबंध में वादीया के कथनों को किसी भी पक्षकार ने उपस्थित होकर विरोध नही किया है, वादीया ने वादाधीन आराजी पर कब्जा काश्त को बखूबी साबित किया है, इस प्रकार वादीया ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, वादपत्र के कथनो एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 25 एमजेडी खाता सं. 22/38 प.नं. 80/193 मु.नं 41 के किला नं. 6, 15, 16, 17, 25 में 1.265 हैक्टर व प.न. 81/193 मु.नं. 42 किला नं. 20 सालम कुल 1.518 हैक्टर नहरी आराजी में से प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक के नाम दर्ज 0.204 हैक्टर आराजी अर्थात कुल क्षेत्रफल 0.408 हैक्टर आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

Scanned by CamScanner

संख्याक –01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डधिकारी,सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–565 / 2019

सावित्री देवी पुत्री, बहादरराम जाति जाट निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम

1 रामप्यारी पुत्री शेराराम जाति जाट निवासी माणुका जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

2. संतो देवी पुत्री जमना देवी जाति जाट निवासी माणुका जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

3 तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगनन्दन सिंह वकील वादीया मिन जामिन मुदई राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 25 एमजेडी खाता सं. 22 / 38 प.नं. 80 / 193 मु.नं 41 के किला नं. 6, 15, 16, 17, 25 में 1.265 हैक्टर व प.न. 81 / 193 मु.नं. 42 किला नं. 20 सालम कुल 1.518 हैक्टर नहरी आराजी में से प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक के नाम दर्ज 0.204 हैक्टर आराजी अर्थात कुल क्षेत्रफल 0.408 हैक्टर आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाता हैं। उक्तानूसार ही वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जांवे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं न्यायालय की मुद्रा में आज दिनांक 3.1.2020 को जारी की गई।

3.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 17:00:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: